297

संख्या– /XVI-1/ 15 /5(13)/2015

प्रषक,

टीकम सिंह पंवार,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
उद्यान भवन, चौबटिया, रानीखेत।

उद्यान एवं रेशम अनुभागः–1 देहरादूनः दिनांक 16 अक्टूबर, 2015

विषयः–उत्तराखण्ड मौन परिषद हेतु राज्य आकस्मिकता निधि से रू15लाख की धनराशि राज्य आकस्मिकता निधि से स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में विभागीय अनुदान संख्या– 29 आयोजनेत्तर (मतदेय) के लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–00–119–बागवानी और सब्जियों की फसलें–03–औद्यानिक विकास 28– उत्तराखण्ड मधुमक्खी परिषद की योजना अन्तर्गत विभिन्न मदों हेतु राज्य आकस्मिकता निधि से **रू15,00,000.00 (रू पन्द्रह लाख मात्र)** की धनराशि संलग्न कम्प्यूटर आई0डी0 सहित व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल **महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:–**

1– धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व उत्तरांचल आकस्मिकता निधि नियमावली, 2001 एवं समय–समय पर निर्गत शासनादेशों एवं संगत नियमों, व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2– निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय करते समय शासनादेश संख्या–400/XXVII(1)/2015, दिनांक–01 अप्रैल, 2015 में दिये गये दिशा–निर्देशों तथा बजट मैनुअल के सुसंगत नियमों का पालन सुनिशिचित किया जायेगा।

3– किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स, 2008, भण्डार क्रय प्रकिया (स्टोर पर्चेस रूल्स) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिष्पादन नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 आय–व्यय सम्बन्धी नियम, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4– स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाय, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी भी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं रहेगा।

5– धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व व्यय से सम्बन्धित प्रस्तावों पर सर्वप्रथम सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा एवं अनुमोदनोपरान्त ही व्यय करना सुनिश्चित किया जायेगा। बिना अनुमोदन प्राप्त किये धनराशि का व्यय कदापि न किया जाय।

6– अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग त्रैमास के आधार पर शासन को उपलब्ध करायी जाय, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लों निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।

क्रमशः––2

7— आकस्मिकता निधि से स्वीकृत उक्त धनराशि के समायोजन हेतु यथा समय प्रस्ताव प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जाये, ताकि उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि का ससमय समायोजन हो सके।

10— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय प्रथमतः लेखाशीर्षक–8000–आकस्मिकता निधि–राज्य आकस्मिकता निधि–लेखा–201–समेकित निधि के विनियोजन तथा अंततः वित्तीय वर्ष 2015–16 में अनुदान संख्या–29 के लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–00–आयोजनेत्तर–119–बागवानी और सब्जियों की फसलें–03–औद्यानिक विकास 28– उत्तराखण्ड मधुमक्खी परिषद की योजना के सुसंगत मदों के नामे डाला जायेगा।

11— यह आदेश वित्त विभाग के आ0श0पत्र संख्या 28(NP)/XXVI-4/15 दिनांक 11 सितम्बर 2015 में प्राप्त उनकी सहमति के कम में निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(टीकम सिंह पवांर)
अपर सचिव।

संख्या– 76 / रा0आक0निधि / 2015–16, दिनांक– 09.10. 2015

प्रतिलिपि:–महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उत्तराखण्ड देहरादून को अतिरिक्त प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

श्रीधर बाबू अद्द्वांकी
अपर सचिव (वित्त)

संख्या–936/XVI(1)/15/5(13)/2015,तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार,उत्तराखण्ड, ओबरॉय मोटर्स बिल्डिंग माजरा, देहरादून।
2– महालेखाकार (आडिट) वैभव पैलेस,सी0–1 / 105 इन्दिरा नगर, देहरादून।
3– अध्यक्ष, / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रदेशीय मौन परिषद उत्तराखण्ड।
4– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
7– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय / राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
8– राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र पाल सिंह)
उप सचिव।